कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020   **PIN Code: 231217**   **Email:** dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक–2513 / रेनुकूट / 15–117   रेनुकूट,दिनांक,जनवरी, 22 ,2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड तृतीय,
पिपरी–सोनभद्र ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भः– 1–क्षेत्रीय सशक्त समिति(आर.ई.सी.)की बैठक दिनांक–26.11.2019 की कार्यवाई (आर.ई.सी. एजेण्डा आईटम 42.5.यू.पी.)

2–भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या– 8बी / यू.पी. / 02 / 31 / 2018 / एफ.सी. / 425 दिनांक– 28.11.2019

3–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 1085 / 11–सी–एफ0पी0 / यू.पी. / Irrig / 20269 / 2016 लखनऊ दिनांक– 29.11.2019

4–विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखऊ का पत्र संख्या– भा0स0–166 / 81–2–2019–800(118) / 2017 लखनऊ दिनांक– 17.12.2019

5–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 1220 / 11–सी–एफ0पी0 / यू.पी. / Irrig / 20269 / 2016 दिनांक–19.12.2019

6–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 2104 / रेनुकूट / 15–117 दिनांक– 19.12.2019

7–आपका पत्र संख्या–888 / क0नि0ख–3पि / रेनुकूट / दिनांक– 24.12.2019 प्राप्त दिनांक–26.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर0ई0सी0) की दिनांक–26.11.2019 को बैठक आयोजित की गयी थी । बैठक में लिये गये निर्णय की सूचना भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–28.11.2019 द्वारा दी गयी है जो निम्नानुसार है :–

1. The test check of KML files of degraded forest areas proposed for Compensatory afforestation reveals some discrepancies which must be sorted out after detailed analysis to ensure that total areas suitable for plantation does not fall below the total requirement of 1295 hectare.
2. The submission of CAT Plan is a part of diversion of forest land for Kanhar Irrigation Project sanctioned much earlier and it requires approval of the ministry which should be taken up separately by the State Government .

उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 17.12.2019 में निम्न प्रकार अंकित है :–

"प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानो के अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु चिन्हित/चयनित समतुल्य गैर वन भूमि के प्रकरणो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या– वी0आइ0ईपी0– 23/14–2–2019–190 जी/2018 दिनांक– 28 जून, 2019 में विहित प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही करते हुए आख्या उपलबध कराने का कष्ट करें" ।

प्रश्नगत प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक–24.12.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर यह पाया गया कि परियोजना द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु **ग्राम–मीसुर में 69.8110 हे0, कोरची में 62.8016 हे0 एवं कुदरी में 28.1482 हे0 कुल 160.7608 हे0 चयनित एवं प्रस्ताव गैर वन भूमि का गाटावार विवरण उपलब्ध कराया गया है उसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 में विज्ञाप्ति विज्ञप्तियों की तिथि 21.06.1960, 28.03.1966 व 07.07.1969 से अब तक परिवर्तित गाटावार विवरण अंकित नही है जिसके कारण उ0प्र0 शासन के उक्त निर्देश दिनांक– 28 जून 2019 के अनुसार सूचना प्रेषित करना संभव नही हो पा रहा है ।**

अतः आपसे अनुरोध है कि **उ0प्र0 शासन के उक्त निर्देश दिनांक– 28 जून 2019 में विहित प्राविधानो के अनुसार विज्ञप्ति की तिथि से अब तक परिवर्तित गाटाओं का विवरण ग्राम वार एवं गाटावार तैयार कराते हुए उसे उप जिलाधिकारी दुद्धी से सत्यापन उपरान्त पॉच प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें** ताकि वांछित सूचना/अभिलेख उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा सकें । आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख मूल में इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट

संख्या– 2513 अ/सम दिनांकित ।

1–प्रतिलिपिः उप प्रभागीय वनाधिकारी, म्योरपुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त होने के उपरान्त उसे सत्यापित करते हुए इस कार्यालय में उपलबध कराना सुनिश्चित करें ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें ।

2–प्रतिलिपिः क्षेत्रीय वन अधिकारी,, बभनी एवं विण्ढमगंज रेंज को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वांछित सूचना तैयार कराने में प्रस्तावक विभाग द्वारा यदि आवश्यक सहयोग की मॉग की जाती है तो उन्हे तुरन्त सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा सूचना तैयार होने के उपरान्त उसे सत्यापित करते हुए इस कार्यालय में उप प्रभागीय वनाधिकारी म्योरपुर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय ।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट